टी०ए० मिस केस सं० 103/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
13/07/19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका बोन्डा देवगम, पिता– स्व0 बड़ा लादुरा हो, उर्फ लादुरा देवगम, ग्राम– मतकमहातु, थाना– मुफ्फसिल जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– मतकमहातु, थाना– 642, खाता नं०– 22, प्लॉट नं०– 1452, रकवा – 0.10 एकड़ भूमि क्रेता रीना सावैयाँ, पति– श्री सीताराम सावैयाँ, ग्राम– गुन्डीपुआ, थाना– मुफ्फसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदिका के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदिक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 441,दिनांक–. 6.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ईलाज एंव अन्य धरेलु कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता रीना सावैयाँ, पति– श्री सीताराम सावैयाँ, ग्राम– गुन्डीपुआ, थाना– मुफ्फसिल, चाईबासा के पास 4,00,000.00/–(चार लाख) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफ्फसिल थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता बोन्डा देवगम, पिता– स्व0 बड़ा लादुरा हो, उर्फ लादुरा देवगम, ग्राम– मतकमहात, थाना– मुफ्फसिल क्रेता रीना सावैयाँ, पति– श्री सीताराम सावैयाँ, ग्राम– गुन्डीपुआ, थाना– मुफ्फसिल के पास 4,00,000.00/–(चार लाख) रूपये मे मौजा– मतकमहातु, थाना– 642, खाता नं०– 22, प्लॉट नं०– 1452, रकवा – 0.10 एकड़ जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....स्वीकृति.... दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) 13/7/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 13/7/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner